पंजीकरण संख्या–यू0ए0/डी0ओ0/डी0डी0एन0/30/2015–17

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की

खण्ड–17] रुड़की, शनिवार, दिनांक 16 जुलाई, 2016 ई0 (आषाढ़ 25, 1938 शक सम्वत्) [संख्या–29

विषय–सूची

प्रत्येक भाग के पृष्ठ अलग–अलग दिये गए हैं, जिससे उनके अलग–अलग खण्ड बन सकें

विषय	पृष्ठ संख्या	वार्षिक चन्दा
		रु0
सम्पूर्ण गजट का मूल्य	–	3075
भाग 1–विज्ञप्ति–अवकाश, नियुक्ति, स्थान–नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस ...	383–390	1500
भाग 1–क–नियम, कार्य–विधियां, आज्ञाएं, विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया ...	559–561	1500
भाग 2–आज्ञाएं, विज्ञप्तियां, नियम और नियम विधान, जिनको केन्द्रीय सरकार और अन्य राज्यों की सरकारों ने जारी किया, हाई कोर्ट की विज्ञप्तियां, भारत सरकार के गजट और दूसरे राज्यों के गजटों के उद्धरण	–	975
भाग 3–स्वायत्त शासन विभाग का क्रोड़–पत्र, नगर प्रशासन, नोटीफाइड एरिया, टाउन एरिया एवं निर्वाचन (स्थानीय निकाय) तथा पंचायतीराज आदि के निदेश जिन्हें विभिन्न आयुक्तों अथवा जिलाधिकारियों ने जारी किया ...	–	975
भाग 4–निदेशक, शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड	–	975
भाग 5–एकाउन्टेन्ट जनरल, उत्तराखण्ड	–	975
भाग 6–बिल, जो भारतीय संसद में प्रस्तुत किए गए या प्रस्तुत किए जाने से पहले प्रकाशित किए गए तथा सिलेक्ट कमेटियों की रिपोर्ट	–	975
भाग 7–इलेक्शन कमीशन ऑफ इण्डिया की अनुविहित तथा अन्य निर्वाचन सम्बन्धी विज्ञप्तियां	–	975
भाग 8–सूचना एवं अन्य वैयक्तिक विज्ञापन आदि ...	185–201	975
स्टोर्स पर्चेज–स्टोर्स पर्चेज विभाग का क्रोड़–पत्र आदि ...	–	1425

भाग 1

विज्ञप्ति–अवकाश, नियुक्ति, स्थान–नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस

कृषि एवं विपणन अनुभाग–2

अधिसूचना

23 जून, 2016 ई0

संख्या 513/XIII-II/19(01)/2011–उत्तराखण्ड कृषि उत्पाद मण्डी (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 2011 (अधिनियम संख्या 09, वर्ष 2011) की धारा 17 की उपधारा (4) के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री राज्यपाल महोदय, कृषि एवं कृषि विपणन अनुभाग–2, उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या 687/XIII(2)/2014–19(01)/2011, दिनांक 05 सितम्बर, 2014 द्वारा गठित कृषि उत्पादन मण्डी समिति, रूद्रपुर (ऊधमसिंह नगर), अधिसूचना संख्या 688/XIII-II/2014–19(01)/2011, दिनांक 05 सितम्बर, 2014 द्वारा गठित कृषि उत्पादन मण्डी समिति, सितारगंज (ऊधमसिंह नगर), अधिसूचना संख्या 690/XIII(2)/2014–19(01)/2011, दिनांक 05 सितम्बर, 2014 द्वारा गठित कृषि उत्पादन मण्डी समिति, जसपुर (ऊधमसिंह नगर) एवं अधिसूचना संख्या 692/XIII(2)/2014–19(01)/2011, दिनांक 05 सितम्बर, 2014 द्वारा गठित कृषि उत्पादन मण्डी समिति, लक्सर, जनपद हरिद्वार का कार्यकाल तत्काल प्रभाव से समाप्त करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2. उक्त के क्रम में उत्तराखण्ड कृषि उत्पाद मण्डी (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 2011 की धारा 23 की उपधारा (2) के प्राविधानानुसार संबंधित जिलों के जिलाधिकारी (कलेक्टर), अधिनियम की धारा 17 के अधीन नई समितियों का गठन होने तक उक्त समितियों के प्रशासक होंगे।

आज्ञा से,

डॉ0 रणबीर सिंह,

अपर मुख्य सचिव।

ऊर्जा अनुभाग–01

अधिसूचना

29 जून, 2016 ई0

संख्या 494/I/2016–01/01/2014–श्री राज्यपाल महोदय, केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (सुरक्षा तथा विद्युत आपूर्ति सम्बन्धी उपाय) विनियम, 2010 के अन्तर्गत भारत सरकार की अधिसूचना सं0 1204, दिनांक 16–05–2016 के साथ पठित का0आ0 1779(अ) के क्रम में निम्न निर्देश दिये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (सुरक्षा तथा विद्युत आपूर्ति से संबंधित उपाय) विनियम, 2010 के विनियम, 32 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए विनिर्दिष्ट करती है कि 500 के0वी0ए0 से अधिक क्षमता के किसी विद्युत उत्पादन स्टेशन अथवा विद्युत उत्पादन यूनिट (ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोतों से विद्युत उत्पादन करने वाली इकाइयों सहित) के सभी संस्थापनों का निरीक्षण विद्युत निरीक्षक द्वारा किया जाएगा।

In pursuance of Clause (3) of Article 348 the Constitution of Uttarakhand Shasan, the Governor is please to make the following translation of the notification 1204, dated 16.05.2016 for general information :

NOTIFICATION

June 29, 2016

No. 494/I/2014-01/04/2014--"In exercise of the powers conferred by regulation 32 of the Central Electricity Authority (Measures relating to Safety and Electric Supply) Regulations, 2010, the Central Government hereby specifies that all installations of a generating station or generating unit (including generating units producing electricity from renewable sources of energy) of the capacity exceeding 500 kVA, shall be inspected by the Electrical Inspector."

अधिसूचना

29 जून, 2016 ई0

संख्या 495/I/2016–01/01/2014–श्री राज्यपाल महोदय, केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (सुरक्षा तथा विद्युत आपूर्ति सम्बन्धी उपाय) विनियम, 2010 के अन्तर्गत भारत सरकार की अधिसूचना सं0 1205, दिनांक 16–05–2016 के साथ पठित का0आ0 1780(अ) के क्रम में निम्न निर्देश दिये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (सुरक्षा तथा विद्युत आपूर्ति से संबंधित उपाय) विनियम, 2010 के विनियम, 02 के खण्ड (य ट क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त विनियम के विनियम 30 और विनियम 43 के अधीन स्व–प्रमाणीकरण के प्रयोजन हेतु अधिसूचित वोल्टेज 11 के0वी0 होगी।

In pursuance of Clause (3) of Article 348 the Constitution of Uttarakhand Shasan, the Governor is please to make the following translation of the notification 1205, dated 16.05.2016 for general information :

NOTIFICATION

June 29, 2016

No. 495/I/2014-01/04/2014--"In exercise of the powers conferred by clause (zka) of regulation 2 of the Central Electricity Authority (Measures relating to Safety and Electric Supply) Regulations, 2010, the Central Government hereby specifies that the notified voltage for the purpose of self-certification under regulation 30 and regulation 43 of the said regulations shall be 11 kV."

अधिसूचना

29 जून, 2016 ई0

संख्या 496/I/2016–01/01/2014–श्री राज्यपाल महोदय, केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (सुरक्षा तथा विद्युत आपूर्ति सम्बन्धी उपाय) विनियम, 2010 के अन्तर्गत भारत सरकार की अधिसूचना सं0 1206, दिनांक 16–05–2016 के साथ पठित का0आ0 1781(अ) के क्रम में निम्न निर्देश दिये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (सुरक्षा तथा विद्युत आपूर्ति से संबंधित उपाय) विनियम, 2010 के विनियम, 36 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, विनिर्दिष्ट करती है कि 15 मीटर से अधिक ऊँचाई वाली बहुमंजिला इमारतों की विद्युत आपूर्ति आरम्भ होने के स्थान पर (कनेक्टेड लोड को ध्यान में रखे बिना) 11 के0वी0 से अधिक सप्लाई वोल्टेज वाले सभी संस्थापनों का निरीक्षण विद्युत निरीक्षक द्वारा किया जाएगा।

आज्ञा से,

डॉ0 उमाकान्त पंवार,

प्रमुख सचिव।

In pursuance of Clause (3) of Article 348 the Constitution of Uttarakhand Shasan, the Governor is please to make the following translation of the notification 1206, dated 16.05.2016 for general information :

NOTIFICATION

June 29, 2016

No. 496/I/2014-01/04/2014--"In exercise of the powers conferred by regulation 36 of the Central Electricity Authority (Measures relating to Safety and Electric Supply) Regulations, 2010, the Central Government hereby specifies that all installations of voltage of supply exceeding 11 kV at the point of commencement of supply (irrespective of the connected load) of multi-storied building of more than fifteen meter in height, shall be inspected by the Electrical Inspector."

By Order,

Dr. UMAKANT PANWAR,

Principal Secretary.

ग्राम्य विकास अनुभाग–1

विज्ञप्ति/पदोन्नति

15 जून, 2016 ई0

संख्या 595/XI/16/53(22)2005–उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग, हरिद्वार की संस्तुति दिनांक 11 दिसम्बर, 2015 के आधार पर श्री भगवती प्रसाद डबराल, सहायक खण्ड विकास अधिकारी की पदोन्नति प्रादेशिक विकास सेवा नियमावली, 2011 के प्राविधानों के अन्तर्गत तत्काल प्रभाव से खण्ड विकास अधिकारी के पद पर वेतनमान ₹ 15,600–39,100, ग्रेड पे ₹ 5,400 में करते हुए पदोन्नत खण्ड विकास अधिकारी को जनपद पौड़ी में तैनात किया जाता है।

2. उक्त खण्ड विकास अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि वे तत्काल तैनाती जनपद में योगदान करने के उपरान्त कार्यभार प्रमाणक आयुक्त, ग्राम्य विकास, पौड़ी एवं शासन को उपलब्ध करायें।

3. यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे।

मनीषा पंवार,
प्रमुख सचिव।

गृह अनुभाग–4

अधिसूचना

20 जून, 2016 ई0

संख्या 613/बीस–4/2016–1(73)/2008–श्री राज्यपाल महोदय, उ0प्र0 जेल मैनुअल के अध्याय–25 के प्रस्तर–669 एवं प्रस्तर–671 में दी गयी व्यवस्था के अधीन श्री अनिल शर्मा पुत्र श्री कालू शर्मा, निवासी गली नं0–2, तपोवन नगर, ज्वालापुर, हरिद्वार को जिला कारागार, हरिद्वार में अशासकीय पर्यवेक्षक (जेल विजिटर) के रूप में नियुक्त किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2. उपरोक्त नामांकन तात्कालिक प्रभाव से लागू होगा तथा श्री अनिल शर्मा की नियुक्ति इस अधिसूचना की दिनाक से 01 वर्ष अथवा शासन के अग्रिम आदेशों तक, जो भी पहले घटित हो, तक की अवधि के लिये होगी तथा उन्हें अशासकीय पर्यवेक्षक के रूप में कोई पारिश्रमिक/मानदेय देय नहीं होगा।

3. जेल मैनुअल के प्राविधानों के अन्तर्गत अशासकीय पर्यवेक्षक द्वारा कारागार का पर्यवेक्षण 4 बजे अपरान्ह् के पश्चात् और सूर्योदय के पूर्व किसी भी समय नहीं किया जायेगा। किसी एक अवसर पर ऐसे पर्यवेक्षण की अवधि जिला कारागार में दो घण्टे से अधिक की नहीं होगी। अशासकीय पर्यवेक्षकों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे 2 बजे अपरान्ह् के पश्चात् पर्यवेक्षण न करें, क्योंकि यह ऐसा किया जाना बंदीकरण (Locking Up) से हस्तक्षेप करता है।

4. कारागार में अशासकीय पर्यवेक्षकों की संख्या बहुत अधिक होने के दृष्टिगत जिला मजिस्ट्रेट ऐसे अशासकीय पर्यवेक्षकों की एक सूची बारी–बारी से पर्यवेक्षण करने के लिये बनायेगा, जिससे इस सूची के अनुसार दो या तीन महीने की अवधि के दौरान तीन से अधिक पर्यवेक्षक, कारागार का पर्यवेक्षण करने का हकदार नहीं होंगे। अधीक्षक, कारागार, प्रबन्ध करेगा कि कारागार में आये पर्यवेक्षक के साथ एक उत्तरदायी कारागार अधिकारी और मार्गदर्शक दल रहे।

आज्ञा से,
विनोद शर्मा,
सचिव।

अल्पसंख्यक कल्याण अनुभाग

अधिसूचना

26 मई, 2016 ई0

संख्या 353/XVII–3/2016–07/(37)/2015–TC-1–वक्फ अधिनियम, 1995 (वक्फ अधिनियम, 2013 के द्वारा यथासंशोधित) की धारा 14 की उपधारा (9) के अधीन शासन की अधिसूचना संख्या 790/XVII–3/2010–36/(स0क0)/2002 टी0सी0–3, दिनांक 22.06.2010 द्वारा गठित उत्तराखण्ड वक्फ बोर्ड का कार्यकाल दिनांक 21.06.2015 को समाप्त होने के कारण शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या–911/07(37)2015, दिनांक 22.06.2015 द्वारा वक्फ बोर्ड के पुनर्गठन की अवधि तक बोर्ड को स्थगित रखे जाने के आदेश दिये गये हैं।

2. चूँकि, वर्तमान में धारा 14 के अन्तर्गत उत्तराखण्ड वक्फ बोर्ड के विधिवत् गठन की कार्यवाही गतिमान है। अतएव, श्री राज्यपाल महोदय एतद्द्वारा धारा 99 की उपधारा (2) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उत्तराखण्ड वक्फ बोर्ड के कार्यों के सुचारू सम्पादन हेतु, बोर्ड के विधिवत् गठन तक अथवा आगामी 06 माह के लिए, जो भी पहले हो, जिलाधिकारी, देहरादून को बोर्ड की समस्त शक्तियों/कर्तव्यों के निर्वहन हेतु प्रशासक नामित किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

आज्ञा से,
डॉ भूपिन्दर कौर औलख,
सचिव।

पंचायती एवं ग्रामीण अभियंत्रण सेवा अनुभाग–2

विज्ञप्ति/पदोन्नति

28 जून, 2016 ई0

संख्या 555/XII–2/2016–87(01)/2016–ग्रामीण निर्माण विभाग के अन्तर्गत श्री वाई0 डी0 पाण्डेय, मुख्य अभियंता, स्तर–2 को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से मुख्य अभियंता, स्तर–1 (वेतनमान ₹ 37,400–67,000, ग्रेड वेतन ₹ 10,000), के पद पर पदोन्नत करने की श्री राज्यपाल महोदय, सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

विज्ञप्ति/पदोन्नति

28 जून, 2016 ई0

संख्या 556/XII–2/2016–93(24)/2004–ग्रामीण निर्माण विभाग के अन्तर्गत श्री वाई0 डी0 पाण्डेय, मुख्य अभियंता, स्तर–2 की मुख्य अभियंता, स्तर–1 के पद पर पदोन्नति के फलस्वरूप योगदान ग्रहण करने पर परिणामी रिक्ति के रूप में मुख्य अभियंता, स्तर–2 के उपलब्ध होने वाले 01 पद पर श्री अजय कुमार पंत, अधीक्षण अभियंता को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से मुख्य अभियंता, स्तर–2 (वेतनमान ₹ 37,400–67,000, ग्रेड वेतन ₹ 8,900), के पद पर पदोन्नत करने की श्री राज्यपाल महोदय, सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2. पदोन्नति के फलस्वरूप श्री अजय कुमार पंत को मुख्य अभियंता स्तर–2, ग्रामीण निर्माण विभाग, भीमताल (नैनीताल) में तैनात किया जाता है।

आज्ञा से,
शैलेश बगौली,
सचिव।

सचिवालय प्रशासन (अधि0) अनुभाग–4

प्रोन्नति / विज्ञप्ति

02 जून, 2016 ई0

संख्या 581 / XXXI(4)–03(विविध) / 2015–उत्तराखण्ड सचिवालय सेवा के लेखा संवर्ग के अन्तर्गत श्री दयाकृष्ण लोहुमी, उप सचिव (लेखा) स्थानापन्न को नियमित चयनोपरान्त उप सचिव (लेखा), वेतनमान ₹ 15,600–39,100, ग्रेड पे ₹ 7,600, के पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से अस्थाई रूप से प्रोन्नत किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय, सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2. उक्त अधिकारी को उप सचिव (लेखा) के पद पर 01 वर्ष की विहित परिवीक्षा पर रखा जाता है।

3. उक्त प्रोन्नति अस्थाई है तथा भारत सरकार द्वारा राज्य परामर्शीय समिति की संस्तुतियों के अनुसार, यदि उ0 प्र0 सचिवालय के अन्य कर्मी उत्तराखण्ड राज्य को आवंटित होते हैं तो तद्क्रम में वरिष्ठता प्रभावित होने की स्थिति में इन आदेशों को तत्क्रम में निर्धारित होने वाली वरिष्ठता के आधार पर यथावश्यक परिवर्तित / प्रत्यावर्तित किया जायेगा।

आज्ञा से,

आर0 मीनाक्षी सुन्दरम,

प्रभारी सचिव।

गृह अनुभाग–2

विज्ञप्ति / पदोन्नति

15 जून, 2016 ई0

संख्या 1195 / XX–02 / 16 / 283 / पुलिस संचार / 2009–तत्काल प्रभाव से सम्यक् विचारोपरान्त उत्तराखण्ड पुलिस संचार शाखा में कार्यरत श्री वेदपाल सिंह नेगी, श्री उमेश चन्द्र जोशी, श्री बसन्त बल्लभ तिवारी एवं श्री जसवीर सिंह, सहायक रेडियो अधिकारी वेतनमान (₹ 15,600–39,100, ग्रेड पे ₹ 5,400), को अपर राज्य रेडियों अधिकारी के पद पर वेतनमान (₹ 15,600–39,100, ग्रेड पे ₹ 6,600) में In Situ (जहाँ है वहीं) पदोन्नति प्रदान की जाती है।

विज्ञप्ति / पदोन्नति

15 जून, 2016 ई0

संख्या 1196 / XX–02 / 16 / 228 / पुलिस संचार / 2009–तत्काल प्रभाव से सम्यक् विचारोपरान्त उत्तराखण्ड पुलिस संचार शाखा में कार्यरत श्री जगत राम, अपर राज्य रेडियो अधिकारी (वेतनमान ₹ 15,600–39,100, ग्रेड पे ₹ 6,600), को राज्य रेडियो अधिकारी के पद पर वेतनमान (₹ 15,600–39,100, ग्रेड पे ₹ 7,600), में In Situ (जहाँ है वहीं) पदोन्नति प्रदान की जाती है।

अजय रौतेला,

अपर सचिव।

वन एवं पर्यावरण अनुभाग–1

विज्ञप्ति

17 जून, 2016 ई0

संख्या 1109 / X–1–2016–04(15) / 2014–भारतीय वन सेवा (वेतन), द्वितीय संशोधन नियमावली, 2008 के नियम–3 की टिप्पणी–3 में उल्लिखित व्यवस्थानुसार, भारतीय प्रशासनिक सेवा के 1996 बैच के अधिकारियों को भारत सरकार में संयुक्त सचिव के पद पर तैनाती के सापेक्ष पे–बैण्ड 4 के अन्तर्गत वेतनमान ₹ 37,400–67,000, ग्रेड पे ₹ 10,000, अनुमन्य

किये जाने के फलस्वरूप, भा0व0से0 (उत्तराखण्ड संवर्ग) के 1995 बैच के निम्नलिखित अधिकारी को उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ–2 में अंकित तिथि से मुख्य वन संरक्षक पद के वेतनमान ₹ 37,400–67,000, में उच्चतर ग्रेड पे ₹ 10,000, गैर–कार्यात्मक आधार पर स्वीकृत किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

अधिकारी का नाम एवं बैच वर्ष	गैर–कार्यात्मक आधार पर वेतनमान स्वीकृति की तिथि
1	2
श्री सोबरन लाल, भा0व0से0–1995 (सेवानिवृत्त)	01 अप्रैल, 2015 से

विज्ञप्ति/पदोन्नति

20 जून, 2016 ई0

संख्या 1373/X–1–2016–04(18)/2009–भारतीय वन सेवा (उत्तराखण्ड संवर्ग), के मुख्य वन संरक्षक श्रेणी, वेतनमान ₹ 37,400–67,000, ग्रेड पे ₹ 10,000, में कार्यरत निम्नलिखित अधिकारियों को, कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से अपर प्रमुख वन संरक्षक श्रेणी, वेतनमान ₹ 67,000–79,000 ग्रेड पे शून्य के पद पर प्रोन्नति प्रदान किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय, सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

क्र0 सं0	अधिकारी का नाम एवं बैच वर्ष	अभ्युक्ति
1	2	3
1.	श्री डी0 जे0 के0 शर्मा, 1988	प्रोफॉर्मा प्रोन्नति
2.	श्री विजय कुमार, 1988	प्रोफॉर्मा प्रोन्नति
3.	श्री जबर सिंह सुहाग, 1988	प्रोफॉर्मा प्रोन्नति
4.	श्री विनीत पांगती, 1988	प्रोफॉर्मा प्रोन्नति
5.	डॉ0 सुखदेव सिंह, 1988	प्रोफॉर्मा प्रोन्नति
6.	श्री समीर सिन्हा, 1990	–

2. उक्तानुसार पदोन्नत अधिकारियों की तैनाती के आदेश पृथक से निर्गत किये जायेंगे।

विज्ञप्ति/पदोन्नति

20 जून, 2016 ई0

संख्या 1374/X–1–2016–04(18)/2009–भारतीय वन सेवा (उत्तराखण्ड संवर्ग), के वन संरक्षक श्रेणी, वेतनमान ₹ 37,400–67,000, ग्रेड पे ₹ 8,900, में कार्यरत निम्नलिखित अधिकारियों को, कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से मुख्य वन संरक्षक श्रेणी, वेतनमान ₹ 37,400–67,000, ग्रेड पे ₹ 10,000, के पद पर प्रोन्नति प्रदान किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय, सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

क्र0 सं0	अधिकारी का नाम एवं बैच वर्ष	अभ्युक्ति
1.	श्री गिरधारी सोनार, 1997	–
2.	श्री विवेक पाण्डे, 1998	–

2. उक्तानुसार पदोन्नत अधिकारियों की तैनाती के आदेश पृथक से निर्गत किये जायेंगे।

विज्ञप्ति / पदोन्नति

20 जून, 2016 ई0

संख्या 1375 / X–1–2016–04(18) / 2009–भारतीय वन सेवा (उत्तराखण्ड संवर्ग), के उप वन संरक्षक चयन श्रेणी, वेतनमान ₹ 37,400–67,000, ग्रेड पे ₹ 8,700, में कार्यरत निम्नलिखित अधिकारियों को, कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से वन संरक्षक श्रेणी, वेतनमान ₹ 37,400–67,000, ग्रेड पे ₹ 8,900, के पद पर प्रोन्नति प्रदान किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय, सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

क्र0 सं0	अधिकारी का नाम एवं बैच वर्ष	अभ्युक्ति
1.	डॉ0 पराग मधुकर धकाते, 2002	–
2.	डॉ0 तेजस्विनी अरविन्द पाटिल, 2002	–

2. उक्तानुसार पदोन्नत अधिकारियों की तैनाती के आदेश पृथक से निर्गत किये जायेंगे।

आज्ञा से,
रमेश चन्द्र लोहनी,
अपर सचिव।

सचिवालय प्रशासन (लेखा) विभाग

कार्यभार प्रमाणक

02 जून, 2016 ई0

पृष्ठांकन संख्या 215 / XXXi(9) / 2016–सचिवालय प्रशासन (अधि0) अनुभाग–4, उत्तराखण्ड शासन के प्रोन्नति / विज्ञप्ति आदेश संख्या 581 / XXXi(4)15–03(विविध) / 2015, दिनांक 02 जून, 2016 के अनुसार उप सचिव (लेखा), वेतन बैण्ड ₹ 15,600–39,100, ग्रेड वेतन ₹ 7,600 में नियमित चयनोपरान्त प्रोन्नत किये जाने के फलस्वरूप आज दिनांक 02–06–2016 के पूर्वान्ह् / अपरान्ह् में कार्यभार ग्रहण किया गया।

डी0 के0 लोहुमी,
उप सचिव (लेखा)।

प्रतिहस्ताक्षरित
ह0 (अस्पष्ट),
सचिवालय प्रशासन विभाग,
उत्तराखण्ड, शासन।

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 29 हिन्दी गजट / 338–भाग 1–2016 (कम्प्यूटर / रीजियो)।
मुद्रक एवम् प्रकाशक–अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रुड़की।

पंजीकरण संख्या–यू0ए0/डी0ओ0/डी0डी0एन0/30/2015–17

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की, शनिवार, दिनांक 16 जुलाई, 2016 ई0 (आषाढ़ 25, 1938 शक सम्वत्)

भाग 1–क

नियम, कार्य–विधियां, आज्ञाएं, विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया

HIGH COURT OF UTTARAKHAND, NAINITAL

NOTIFICATION

June 17th, 2016

No. 144/UHC/Admin.A/2016--Sri Imran Mohd. Khan, Civil Judge (Jr. Div.), Lansdowne, District Pauri Garhwal has been given additional charge of the Court of Civil Judge (Jr. Div.), Dhumakot, District Pauri Garhwal *vide* notification No. 187/UHC/Admin.A/2015, dated 05.06.2015 to hold Camp Court at Dhumakot for four continuous days in a month.

In partial modification to the above said notification, he is henceforth directed to hold Camp Court at Dhumakot for two days in each month instead of four days.

This order will come into force with immediate effect.

NOTIFICATION

June 17th, 2016

No. 145/UHC/Admin.A/2016--Sri Harsh Yadav, Civil Judge (Jr. Div.), Gopeshwar, District Chamoli has been given additional charge of the Court of Civil Judge (Jr. Div.), Pokhari, District Chamoli *vide* notification No. 119/UHC/Admin.A/2016, dated 06.05.2016 to hold Camp Court at Pokhari for three days in a month.

In partial modification to the above said notification, he is henceforth directed to hold Camp Court at Pokhari for one day in each month instead of three days.

This order will come into force with immediate effect.

By Order of the Court,

Sd/-

KANTA PRASAD,

Registrar General.

NOTIFICATION

June 18, 2016

No. 146/UHC/XIV-a/32/Admin.A/2015--Ms. Meenal Chawla, Judicial Magistrate, Almora is hereby sanctioned earned leave for 05 days *w.e.f.* 20.05.2016 to 24.05.2016.

By Order of Hon'ble the Administrative Judge,

sd/-

Registrar (Inspection).

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, नैनीताल वन प्रभाग, नैनीताल

कार्यभार ग्रहण प्रमाण–पत्र

20 जून, 2016 ई0

पत्रांक 5494/I–(17)–उत्तराखण्ड शासन, वन एवं पर्यावरण अनुभाग–1 के विज्ञप्ति शासनादेश संख्या 1375/X–1–2016–04(18)/2009, दिनांक 20.06.2016 के अनुपालन में अधोहस्ताक्षरी ने आज दिनांक 20.06.2016 के अपराह्न में वन संरक्षक, श्रेणी वेतनमान ₹ 37,400–67,000, ग्रेड पे ₹ 8,900 के पद पर अपना योगदान दे दिया है।

कार्यभार ग्राह्य अधिकारी,

डॉ0 तेजस्विनी अरविंद पाटील,

वन संरक्षक।

प्रतिहस्ताक्षरित,

ह0 (अस्पष्ट)

प्रमुख वन संरक्षक,

उत्तराखण्ड, देहरादून।

कार्यालय सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, टनकपुर (चम्पावत)

आदेश

21 जून, 2016 ई0

पत्रांक 1379/पंजीयन निरस्त/2016–17–वाहन संख्या PB11AT-9199, मॉडल 2010, चेसिस नं0 MC1B1ABA7AA001378, इंजन D30006833, इस कार्यालय अभिलेखानुसार वाहन स्वामी श्री मो0 यासिन पुत्र श्री मल्लू, निवासी गोठिया, वार्ड नं0–02, खटीमा, जिला ऊधमसिंह नगर के नाम पर दर्ज हैं, वाहन स्वामी ने दिनांक 25.05.2016 को आवेदन–पत्र के साथ मूल चेसिस नं0 प्लेट प्रस्तुत करते हुए अवगत कराया है कि उनका वाहन मार्ग पर संचालन योग्य न होने के कारण वाहन को काट कर समाप्त कर दिया गया है, साथ ही वाहन का पंजीयन निरस्त करने हेतु अनुरोध किया है। वाहन फाइनेन्स से मुक्त है। प्रवर्तन अनुभाग की आख्या के अनुसार वाहन पर कोई चेक चालान लम्बित नहीं है। उक्त तथ्यों के आधार पर वाहन के पंजीयन/चिन्ह के बने रहने का कोई औचित्य नहीं रहता है।

अतः, मैं, रश्मि भट्ट, सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, टनकपुर (चम्पावत), केन्द्रीय मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 55 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिनांक 21.06.2016 को वाहन संख्या PB11AT-9199, चेसिस नं0 MC1B1ABA7AA001378, तत्काल प्रभाव से निरस्त करती हूँ।

आदेश

21 जून, 2016 ई0

पत्रांक 1380/पंजीयन निरस्त/2016–17–वाहन संख्या UP29-0118, मॉडल 1998, चेसिस नं0 359362MSQ011165, इंजन नं0 697D28MSQ144725, इस कार्यालय अभिलेखानुसार वाहन स्वामी श्री गुरनीत सिंह पुत्र श्री रणजीत सिंह, निवासी वार्ड नं0–03, टनकपुर, जिला चम्पावत के नाम पर दर्ज है, वाहन स्वामी ने दिनांक 17.05.2016 को आवेदन–पत्र के साथ मूल चेसिस नं0 प्लेट प्रस्तुत करते हुए अवगत कराया है कि उनका वाहन मार्ग पर संचालन योग्य न होने के कारण वाहन को काट कर समाप्त कर दिया गया है, साथ ही वाहन का पंजीयन निरस्त करने हेतु अनुरोध किया है। वाहन फाइनेन्स से मुक्त है। प्रवर्तन अनुभाग की आख्या के अनुसार वाहन पर कोई चेक चालान लम्बित नहीं है। उक्त तथ्यों के आधार पर वाहन के पंजीयन/चिन्ह के बने रहने का कोई औचित्य नहीं रहता है।

अतः, मैं, रश्मि भट्ट, सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, टनकपुर (चम्पावत), केन्द्रीय मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 55 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिनांक 21.06.2016 को वाहन संख्या UP29-0118, चेसिस नं0 359362MSQ011165, तत्काल प्रभाव से निरस्त करती हूँ।

आदेश

21 जून, 2016 ई0

पत्रांक 1381/पंजीयन निरस्त/2016–17–वाहन संख्या UA05-0312, मॉडल 2001, चेसिस नं0 388091B4Z103766, इंजन नं0 10B62181472, इस कार्यालय अभिलेखानुसार वाहन स्वामी श्री मुकेश महराना पुत्र श्री शिवराज सिंह, निवासी बिरगुल, जिला चम्पावत के नाम पर दर्ज है, वाहन स्वामी ने दिनांक 12.05.2016 को आवेदन–पत्र के साथ मूल चेसिस नं0 प्लेट प्रस्तुत करते हुए अवगत कराया है कि उनका वाहन मार्ग पर संचालन योग्य न होने के कारण वाहन को काट कर समाप्त कर दिया गया हैं, साथ ही वाहन का पंजीयन निरस्त करने हेतु अनुरोध किया है। वाहन फाइनेन्स से मुक्त है। प्रवर्तन अनुभाग की आख्या के अनुसार वाहन पर कोई चेक चालान लम्बित नहीं है। उक्त तथ्यों के आधार पर वाहन के पंजीयन/चिन्ह के बने रहने का कोई औचित्य नहीं रहता है।

अतः, मैं, रश्मि भट्ट, सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, टनकपुर (चम्पावत), केन्द्रीय मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 55 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिनांक 21.06.2016 को वाहन संख्या UA05-0312, चेसिस नं0 388091B4Z103766, तत्काल प्रभाव से निरस्त करती हूँ।

रश्मि भट्ट,
सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी,
टनकपुर (चम्पावत)।

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 29 हिन्दी गजट/338–भाग 1–क–2016 (कम्प्यूटर/रीजियो)।
मुद्रक एवम् प्रकाशक–अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रुड़की।

पंजीकरण संख्या–यू0ए0/डी0ओ0/डी0डी0एन0/30/2015–17

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की, शनिवार, दिनांक 16 जुलाई, 2016 ई0 (आषाढ़ 25, 1938 शक सम्वत्)

भाग 8

सूचना एवं अन्य वैयक्तिक विज्ञापन आदि

कार्यालय नगरपालिका परिषद् मुनिकीरेती, ढालवाला, टिहरी गढ़वाल

सूचना

06 जुलाई, 2016 ई0

पत्रांक 185/भवनकर उपविधि–2016/2016–2017–उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम (उत्तराखण्ड में प्रवृत्त) 1916 की धारा 128 (1) के, जो कि नगरपालिका परिषद् मुनिकीरेती, ढालवाला, टिहरी गढ़वाल में अपनी सीमान्तर्गत गृह कर नियमावली जिसका उल्लेख निम्न है, बनाई है। उक्त अधिनियम की धारा 133(1) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, नगरपालिका परिषद्, मुनिकीरेती, ढालवाला, टिहरी गढ़वाल, उपविधि की पुष्टि करते हैं। जो जन सामान्य एवं जिन पर इस उपविधि का प्रभाव पड़ने वाला हो, उनसे आपत्ति एवं सुझाव प्राप्ति हेतु प्रकाशित की जा रही है।

अतः समाचार–पत्र में उपविधि के प्रकाशन की तिथि से 30 दिन के अन्दर लिखित सुझाव एवं आपत्ति अधिशासी अधिकारी, नगरपालिका परिषद्, मुनिकीरेती, ढालवाला, टि0ग0 को प्रेषित की जा सकेगी, बादमियादी प्राप्त आपत्तियों एवं सुझावों पर कोई विचार नहीं किया जायेगा।

यह उपनियम शासकीय गजट में प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होंगेः–

<u>भवन कर उपविधि–2016</u>

1. नगरपालिका परिषद्, मुनिकीरेती, ढालवाला की सीमा में सभी मकानों, इमारतों तथा भूमियों के वार्षिक किराये के मूल्य की 10 प्रतिशत भाग का 10 प्रतिशत तक भवन कर के रूप में देय होगा, पर इस में निम्नलिखित अपवाद होंगेः–
   (अ) ऐसी सभी भूमि व इमारतें, जिनके वार्षिक किराये का मूल्य ₹ 10,000 (दस हजार रुपये) से कम हो,
   (ब) जो इमारत सरकारी सम्पत्ति होगी और किराये के लिए नहीं है अर्थात् जिन्हें किराये पर साधारणतया नहीं दिया जा सकता हो,
   (स) मन्दिर, मस्जिद, गुरूद्वारा, विद्यालय, हॉस्टल तथा धर्मशाला,
   (द) भवन व भूमि जो मन्दिर और मस्जिद की है।
2. (अ) वार्षिक किराये का मूल्य का तात्पर्य कॉलेजों, धर्मशालाओं, अस्पतालों, कारखानों, होटलों, गोदाम तथा इसी प्रकार के दूसरे व्यावसायिक भवनों की दशा में भवन निर्माण का वर्तमान अनुमानित लागते और उसके सम्बन्धित भूमि के मूल्य के योग के 05 प्रतिशत के 10 प्रतिशत से होगा।

(ब) ऐसी इमारते जो उक्त नियम (अ) के अन्तर्गत न आती हो, उसकी वार्षिक किराये की कीमत यह समझी जायेगी, जिस पर यह वास्तव में दी गई हो। उसमें यदि फर्नीचर व मशीनरी, यदि कोई किराये में शामिल हो तो उतना किराया घटा दिया जायेगा। यदि उसमें मकान मालिक स्वयं रहता हो या अध्यक्ष, अधिशासी अधिकारी की राय में जितने किराये पर होना चाहिए उससे कम किराये पर दी गई हो, तो उसकी आय वह समझी जायेगी। जिस पर वह उचित रूप में दी जाने योग्य होगी।

3. भवनकर प्रत्येक वित्तीय वर्ष 01 अप्रैल से 31 मार्च तक देय होगा। इसके पश्चात् जमा करने पर भवनकर का 10 प्रतिशत अतिरिक्त पेनल्टी के रूप में देय होगा।

4. इमारतों में उसका आँगन भी सम्मिलित होगा। (यदि हो)

5. शासकीय भूमि एवं अन्य प्रकार की भूमि पर निर्मित भवनों पर लगे भवनकर को मालिकाना हक का आधार नहीं माना जायेगा एवं भवनकर नामान्तरण हेतु सम्पूर्ण प्रक्रिया जैसे {म्यूनिसिपल एक्ट, 1916 की धारा 147(2)} विज्ञप्ति प्रकाशित कर नामान्तरण हेतु अन्तिम निर्णय बोर्ड का होगा। किसी भी रूप में भवनकर रसीद मालिकाना हक के अधिकार के रूप में स्वीकार नहीं होगा।

6. ऐसी सम्पत्ति जिस पर कर लगाया गया हो, के स्वामी को करदाता समझा जायेगा।

(अ) साधारणतया कर निर्धारण भूमि और मकान के वास्तविक अधिकारी के नाम किया जायेगा। यदि ऐसा व्यक्ति सम्बन्धित भूमि और भवन कर स्वामी हो या राज्य सरकार अथवा नगरपालिका परिषद्, मुनिकीरेती, ढालवाला, टिहरी गढ़वाल अथवा किसी व्यक्ति द्वारा लीज पर दी गई भूमि का उपयोग कर रहा हो।

(ब) निम्नलिखित दशा में कर निर्धारण सम्पत्ति के स्वामी के नाम किया जायेगा–

(1) यदि सम्पत्ति किराये पर दे दी गई हो।

(2) यदि किराये पर ली गई सम्पत्ति को मूल किरायेदार ने दूसरे किसी व्यक्ति को किराये पर दे दी हो।

(3) यदि ऐसे व्यक्ति ने जिसे सम्पत्ति किराये पर देने का अधिकार हो, सम्पत्ति किराये पर न दी हो।

(4) यदि किसी भूमि अथवा मकान का स्वामी कर अदा करने में असमर्थ हो तो सभी सम्बन्धित इमारत का कर नगरपालिका परिषद्, मुनिकीरेती, ढालवाला, टिहरी गढ़वाल, उस व्यक्ति से वसूल कर सकती है, जिसके अधिकार में वह इमारत उस समय हो परन्तु ऐसा व्यक्ति अपने अधिकार में लिए हुए भाग के केवल उतने ही भाग से वार्षिक मूल्य कर सूची द्वारा प्रमाणित कराकर अदा करेगा, जितने पर वह अधिकार रखता है।

7. ऊपर लिखे उपनियमों के अन्तर्गत कर अदा करने वाला व्यक्ति, जो वास्तविक करदाता नहीं है, अपने द्वारा अदा किये गये कर को वास्तविक करदाता से वसूल करने का अधिकारी होगा।

8. यह कि, कर पाँचवे वर्ष अध्यक्ष व अधिशासी अधिकारी व बोर्ड द्वारा कर निर्धारण के लिए नियुक्त किये गये व्यक्तियों के द्वारा कर निर्धारण किया जायेगा। कर सूची हर पाँचवे वर्ष 31 जनवरी के पूर्व तैयार होगी, जिसमें निम्नलिखित बातें होंगी:–

(अ) जिस मोहल्ले में स्थित हो, उसका नाम,

(ब) सम्पत्ति का नाम, पद या नम्बर, जिससे उसकी पहचान हो सके,

(स) मालिक एवं उसमें रहने वाले का नाम,

(द) सम्पत्ति के वास्तविक किराये का मूल्य,

(य) उस पर लगाया गया कर।

9. 31 जनवरी या उससे पूर्व अध्यक्ष और अधिशासी अधिकारी या बोर्ड द्वारा नियुक्त किये गये व्यक्ति कर निर्धारण व्यक्तियों की एक सूची इन नियमों से सम्बन्धित फार्म में तैयार करेंगे जिसमें करदाता और उस सम्पत्ति का विवरण होगा, जिस पर कर हो, सूची में तैयार कर नये प्रकार से लगाया जायेगा, भले ही पिछली सूचियों की प्रविष्टियों से सहायता ली जाय।

10. सूची तैयार होने पर जनता को सूचना दी जायेगी कि अमुक स्थान पर सूची अथवा उसकी नकल देखी जा सकती है। करदाता व उसके प्रतिनिधि उसकी नकल निःशुल्क देखने के अधिकारी होंगे।

11.(अ) अध्यक्ष या अधिशासी अधिकारी सूची तैयार होने पर प्रकाशन के दिनांक से एक माह की नोटिस उस समय देगा, जब वह लगाये गये टैक्स पर विचार करेगा, ऐसा करना उस स्थिति में अति आवश्यक है, जब किसी सम्पत्ति पर पहली बार टैक्स लगाया जा रहा हो या टैक्स पहले की अपेक्षा बढ़ाया जा रहा हो।

(ब) कर सूची पर आपत्तियां लिखित रूप में कारण सहित इस उद्देश्य के लिए निश्चित हुई तिथि के भीतर करनी होगी।

(स) अध्यक्ष व अधिशासी अधिकारी बोर्ड द्वारा कर निर्धारण के लिए नियुक्त की गई समिति, प्रार्थी को उसके बयान के अवसर पर आवश्यक छान–बीन करके उसकी आपत्ति का निराकरण करेंगे और आवश्यक परिवर्तन सूची में करेंगे।

12. बोर्ड किसी भी समय पर्याप्त कारणों के आधार पर सूची में परिवर्तन कर सकता है, जिसमें करदाता का नाम घटाया बढ़ाया जा सकता है और टैक्स में परिवर्तन किया जा सकता है।

13. कर–निर्धारण अधिकारी, 31 मार्च अथवा उससे पूर्व कर सूची को अन्तिम रूप में अवश्य तैयार करेगा।

14. बोर्ड किसी भी समय उचित एवं पर्याप्त कारण के आधार पर सूची संशोधन कर सकता है या संशोधन में किसी का नाम जोड़ कर या काट कर या सम्पत्ति व उसके मूल्य में परिवर्तन कर सकता है।

15. (अ) यदि किसी ऐसी सम्पत्ति, भूमि, भवन जिस पर टैक्स लगता हो, का स्वामित्व अथवा टैक्स देने सम्बन्धी अधिकार परिवर्तन हो जाय तो वह व्यक्ति, जो उसका अधिकारी बन रहा हो, तत्सम्बन्धी अधिकार–पत्र लिखे जाने के बाद या पंजीकरण के बाद (यदि पंजीकरण हुआ हो), स्थानान्तरण के बाद, यदि अधिकार कम न लिखा गया हो, 13 महीने के भीतर इस अधिकार परिवर्तन की सूचना लिखित रूप में अधिशासी अधिकारी को देगा।

(ब) यदि किसी भूमि व भवन स्वामी की मृत्यु हो जाती है तो उसका अधिकारी व उत्तराधिकारी भी इसी प्रकार अपने अधिकार प्राप्त करने के तीन माह के भीतर लिखित सूचना अधिशासी अधिकारी को देगा।

(स) अध्यक्ष व अधिशासी अधिकारी के पूछे जाने पर उत्तराधिकारी अपने उत्तराधिकार का प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करेगा।

16. पूर्व लिखित नियमों के आधार पर जो व्यक्ति अधिकार पाने की सूचना देगा, वह उस सम्पत्ति पर लगाये गये टैक्स का बकाया अदा करके, ₹ 1,500 भवनकर नामान्तरण फीस तथा विज्ञप्ति प्रकाशन व्यय अदा करना होगा।

(1) विक्रीत भूमि अन्य के नाम परिवर्तन करने पर 50 वर्ग मी0 तक ₹ 2,000 तथा 100 वर्ग मी0 तक ₹ 3,000 तथा 200 वर्ग मी0 तक ₹ 4,000 तथा 200 वर्ग मी0 से अधिक ₹ 5,000 कर नामान्तरण शुल्क देय होगा। प्रकाशन व्यय अतिरिक्त देय होगा।

17. (अ) अधिकार परिवर्तन का प्रार्थना–पत्र अध्यक्ष द्वारा स्वीकृत होगा।

(ब) उत्तराधिकारी के विषय में संशय होने पर मामला बोर्ड के विचाराधीन होगा, जिसका निर्णय तब तक मान्य होगा जब तक कोई अधिकार प्राप्त न्यायालय इस विषय में निर्णय न दे दें।

18. कर वसूली म्युनिसिपैलिटीज ऐक्ट की संहिता 6 के अनुसार होगी।

दण्ड

उत्तराखण्ड में प्रवृत्त म्युनिसिपैलिटीज एक्ट, 1916 की धारा 299(1) के अनुसार यह निर्देश दिया जाता है कि ऊपर लिखे गये नियमों की अवहेलना का दण्ड ₹ 5,000 (पाँच हजार रुपए) तक होगा, अवहेलना लगातार जारी रही तो प्रथम दण्ड के पश्चात् उक्त अवधि में, जिसमें अपराधी का अपराध किया जाना सिद्ध हो जाय, ₹ 25 (पच्चीस रुपए) प्रतिदिन जुर्माना हो जायेगा।

06 जुलाई, 2016 ई0

पत्रांक 186/विज्ञापन शुल्क उपविधि–2016/2016–2017–नगरपालिका परिषद्, मुनिकीरेती, ढालवाला, अधिनियम, 1916 की धारा 298 (2) आई0 एच0 एफ0 के अन्तर्गत जो अधिसूचित क्षेत्र समिति पर भी लागू है, द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए नगरपालिका परिषद्, मुनिकीरेती, ढालवाला, टिहरी गढ़वाल ने अपनी सीमा के अन्दर अश्लील तथा अभद्र फिल्म पोस्टरों, विज्ञापनों, भवनों पर इश्तहारों, साइन बोर्डों आदि चिपकाने व प्रस्थापित करने सम्बन्धी विनियमित एवं नियंत्रित करने हेतु उपविधियां बनाई हैं। उक्त अधिनियम की धारा 301 (2) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए उपविधियों की पुष्टि करते हैं। जो जन सामान्य एवं जिन पर इस उपविधि का प्रभाव पड़ने वाला हो, उनसे आपत्ति एवं सुझाव प्राप्ति हेतु प्रकाशित की जा रही है।

अतः समाचार–पत्र में उपविधि के प्रकाशन की तिथि से 30 दिन के अन्दर लिखित सुझाव एवं आपत्ति अधिशासी अधिकारी, नगरपालिका परिषद्, मुनिकीरेती, ढालवाला, टि0ग0 को प्रेषित की जा सकेगी, बादमियादी प्राप्त आपत्तियों एवं सुझावों पर कोई विचार नहीं किया जायेगा।

उपविधियां शासकीय गजट में प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होंगी।

विज्ञापन शुल्क हेतु उपविधि–2016

1. इन उपनियमों में–

(क) प्रचार या विज्ञापन शब्द का अर्थ किसी भी प्रकार का बिल, सूचना पोस्टर, कपड़े के बैनर, कागज के छोटे पोस्टर चिपकाने वाले या साइनबोर्ड या अन्य किसी ऐसी वस्तु से है। जो विज्ञापन प्रचार के लिए प्रयुक्त किया गया हो या स्टेन्सिल के छपे हुए, हाथ से लिखे हुए रंगीन तथा रेखा चित्र अंकित किये गये हों, में सम्मिलित है।

(ख) विज्ञापन के प्रचार हेतु प्रयुक्त स्थान से तात्पर्य भवन, जिसमें किसी भी प्रकार का निर्माण किया हुआ भाग, भवन की बाहरी दीवार, फड़, अहाता एवं दूसरे प्रकार के भवनों के भाग, नगर के सड़कों के किनारे, दीवारों या पेड़ों, पार्किंग स्थलों, गंगा जी के किनारे वाले स्थानों, घाटों का भाग भी सम्मिलित है तथा प्रयोगार्थ मान्य समझे जायेंगे।

(ग) नगरपालिका परिषद्, मुनिकीरेती, ढालवाला, टिहरी गढ़वाल की सीमा से तात्पर्य इसकी वर्तमान सीमा से है तथा भविष्य में संशोधित सीमाएँ भी इसमें उन उपविधियों के नियंत्रण एवं विनियमन हेतु सम्मिलित मानी जायेंगी।

(घ) अधिशासी अधिकारी का तात्पर्य नगरपालिका परिषद्, मुनिकीरेती, ढालवाला, टिहरी गढ़वाल के अधिशासी अधिकारी से है।

(ङ) विज्ञापनों के प्रचार करने वालों में वे सभी व्यक्ति सम्मिलित हैं, जो विज्ञापन कार्यों के प्रकार हेतु नियुक्त प्रदर्शनकर्ता हो अथवा फर्म या कम्पनी का मालिक, स्वामी, प्रतिनिधि, साझेदार या प्रबंधक आदि प्रत्यक्ष विधि से विज्ञापन प्रदर्शित किया गया हो या किये जाने की स्थिति में हो।

(च) अधिशासी अधिकारी अपने अधीनस्थ किसी भी कर्मचारी को विज्ञापन प्रसार व अनुमति दिये जाने से सम्बन्धित अभिलेखों के रख–रखाव हेतु व्यवस्था करेंगे तथा लेखों पर नियंत्रण रखेंगे।

2. कोई भी व्यक्ति नगरपालिका परिषद्, मुनिकीरेती, ढालवाला, टिहरी गढ़वाल की सीमा के अन्दर किसी स्थान, भवन या जिसका ब्यौरा उपविधियों के प्रस्तर (ब) में उल्लिखित है। प्रदर्शित करने या सर्वसाधारण का ध्यान आकर्षित करने के लिए, बिना अधिशासी अधिकारी के पूर्व स्वीकृति न तो लगायेगा और न लगाने का अधिकारी होगा।

3. विज्ञापित किये जाने हेतु प्रस्तावित विज्ञापन की दो प्रतियों के साथ प्रार्थना–पत्र अधिशासी अधिकारी को देना होगा। जो उसके विषय तथा भाषा आदि का परीक्षण करके अपनी सन्तुष्टि करेगा कि उसमें नैतिक व मानवीय दृष्टिकोण से कोई अभद्र, अप्रिय, अश्लील, अप्रिय कटु अथवा आपत्तिजनक तत्व व सामग्री तो नहीं है और तत्पश्चात् लिखित अनुमति या स्वीकृति देगा। यदि इस प्रकार का कोई प्रार्थना–पत्र अस्वीकृत किया जाता है तो अस्वीकृति के कारण व कारणों का उल्लेख करना होगा अथवा उल्लेख करेगा।

4. किसी स्थान विशेष की उपयोग की आज्ञा प्राप्त करने के लिए आवेदन–पत्र निश्चित स्थान के लिए स्पष्ट मानचित्र, प्रदर्शित की जाने वाली सामग्री या बनवाये जाने वाली तस्वीर की दो प्रतियाँ, विज्ञापन का आकार तथा जितने समय के लिए आज्ञा माँगी गई हो, उसके उल्लेख के साथ अधिशासी अधिकारी को प्रस्तुत करेगा व अधिशासी अधिकारी उपविधियों के प्रस्तर–3 के अन्तर्गत कार्यवाही करेगा।

5. अधिशासी अधिकारी को यह अधिकार होगा कि वह अपने द्वारा किसी स्वीकृत आज्ञा को आपत्ति स्थिति में या जनहित में अस्वीकृत कर दें, काट दें या रोक दें तो ऐसी स्थिति में शुल्क का यथोचित भाग उनके द्वारा वापिस किया जायेगा। लेकिन इस प्रकार शुल्क का भाग वापस चाहने बाबत प्रार्थना–पत्र प्रभावित व्यक्ति या जिनके सम्बन्ध में उपनियिमों के 1 खण्ड(च) में उल्लेख है, द्वारा प्रस्तुत किये जाने पर ही शुल्क वापिस कर दिया जायेगा।

6. नगरपालिका परिषद्, मुनिकीरेती, ढालवाला, टिहरी गढ़वाल के सीमान्तर्गत अनाधिकृत विज्ञापन लगा होने पर अधिशासी अधिकारी को अधिकार होगा कि वह विज्ञापन (साइनबोर्ड सहित) को सम्बन्धित व्यक्ति के मूल्य, जोखिम और व्यय पर हटा दे। इस प्रकार किया गया व्यय सम्बन्धित व्यक्ति या फर्म से वसूल किया जायेगा। जिसके पक्ष में या ओर से उक्त विज्ञापन लगाया गया होगा। इस प्रकार के विज्ञापन को हटाने के पश्चात् वहां से हटाये गये साइनबोर्ड के स्वामी को अधिशासी अधिकारी द्वारा नोटिस देने पश्चात् या कोई स्वामी ज्ञात न होने पर हटाने के तीन माह के पश्चात् अधिशासी अधिकारी उसको नीलाम करने की आज्ञा दे सकेगा।

7. अधिशासी अधिकारी की किसी भी आज्ञा के विरूद्ध अपील, समिति के अध्यक्ष के पास की जा सकेगी किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि इस प्रकार की आज्ञा प्राप्त होने के 15 दिन के भीतर प्रस्तुत की जायेगी।

8. इन उपनियमों एवं उपविधियों के अन्तर्गत प्रत्येक आज्ञा को स्वीकार किये जाने पर ₹ 75 प्रतिवर्ग फीट के अनुसार विज्ञापन शुल्क अग्रिम जमा करना होगा।

9. इन्डिकेटर बोर्ड या अन्य बोर्ड जहाँ दोनों ओर विज्ञापन लिखे होंगे, वहां निर्धारित शुल्क दोगुने हो जायेंगे। इन्डिकेटर बोर्ड का साइज 5×3 फीट का होगा।

10. विज्ञापन शुल्क बैंक ड्राफ्ट/बैंक चेक/नकद रूप में जमा किया जायेगा।

11. विज्ञापन शुल्क का भुगतान प्रत्येक वित्तीय वर्ष में 30 अप्रैल तक पूर्णतः अग्रिम (100 प्रतिशत) जमा किया जायेगा। 30 अप्रैल के एक माह तक शुल्क जमा न होने पर 10 प्रतिशत अतिरिक्त पेनल्टी तथा उसके पश्चात् भी जमा न होने की दशा में विज्ञापन का पंजीकरण निरस्त कर दिया जायेगा।

12. तिराहे, चौराहों तथा मोड़ों पर जहाँ विज्ञापन पट लगाने से यातायात में कठिनाई हो/यातायात बाधित हो। ऐसे में तिराहे व चौराहों में केन्द्र से प्रत्येक पथ पर 25 मीटर तक विज्ञापन पट लगाने पर प्रतिबन्ध रहेगा।

13. यूनिपोल पर विज्ञापन शुल्क सामान्य विज्ञापन शुल्क से दोगुना ₹ 150 प्रतिवर्ग फीट होगा।

14. होर्डिंग/यूनिपोल का अधिकतम साइज 20×10 फीट होगा।

15. होर्डिंग/यूनिपोल की संरचना मजबूत व फ्रेम के आकार की होनी चाहिए। जिससे आँधी आदि के समय न गिरे।

16. कपड़े के बैनर की चौड़ाई ढाई फुट से अधिक नहीं होगी तथा वह सड़क धरातल 12 फुट ऊँचाई से कम पर प्रदर्शित नहीं होगा।

17. प्रत्येक 2 वर्ष पश्चात् विज्ञापन शुल्क में 10 प्रतिशत की वृद्धि की जायेगी।

18. नगरपालिका की सीमान्तर्गत प्रदर्शित किए जाने वाले विज्ञापन हेतु विज्ञापनकर्ता से विज्ञापन शुल्क की वसूली की जायेगी। वसूली का कार्य नगरपालिका की सुविधानुसार स्वयं निकाय द्वारा या निविदा के माध्यम से ठेके पर किया जायेगा।

19. वर्णित उपविधियों के अन्तर्गत साइनबोर्ड आदि हेतु प्रदत्त आज्ञा प्राप्त होने अथवा शुल्क जमा होने की स्थिति में यदि किसी व्यक्ति या फर्म आदि का साइनबोर्ड गिर जाता है, खो जाता है, चोरी में चला जाता है। तो समिति इस प्रकार खण्डित सामग्री के लिए जिम्मेदार नहीं होगी, इस प्रकार की व्यवस्था मालिक व स्वामी विशेष आदि की होगी कि वह साइनबोर्ड की सुरक्षा या जिस आशय से प्रदर्शित किया जाता है, का तात्पर्य एवं अपनी व्यवस्था से प्रदर्शित करता रहेगा। किसी भी स्थिति में निर्धारित शुल्क जमा न करने को नहीं दी जायेगी।

20. उपरोक्त उपनियमों के अन्तर्गत निर्धारित शुल्क निम्नलिखित दर पर देय नहीं होगाः–

(अ) शासन के कार्यों के लिए शासन द्वारा लगाये गये विज्ञापन।

(ब) ऐसे साइनबोर्ड जो स्थानीय सम्बन्धित दुकानें या मकान में होने वाले व्यवसाय का सूचक हो।

(स) राजनैतिक, स्कूल, कॉलेज, औषधालय, 20 सूत्रीय कार्यक्रम, आपात स्थिति से सम्बन्धित स्वीकृत नारे (बैनर्स), ऐसे सामाजिक शासकीय विज्ञापन आदि।

शास्ति

यू0पी0 म्युनिसिपैलिटीज एक्ट, 1916 (उत्तराखण्ड में प्रवृत्त) की धारा 299(1) द्वारा प्रवृत्त अधिकारों का प्रयोग करके नगरपालिका परिषद्,मुनिकीरेती, ढालवाला, टिहरी गढ़वाल आदेश देती है कि उपरोक्त उपविधियों में से किसी उपविधि का उल्लंघन करने पर अर्थदण्ड दिया जा सकता है। जो ₹ 1,000 तक हो सकता है और यदि अपराध निरन्तर जारी रहा हो तो प्रथम अपराध के निर्णय के दिनांक के पश्चात् जिनमें कि अपराधी का अपराध सिद्ध हुआ है ₹ 5.00 प्रतिदिन हो सकता है।

बी0 पी0 भट्ट
अधिशासी अधिकारी,
नगरपालिका परिषद्,
मुनिकीरेती, ढालवाला।

शिवमूर्ति कंडवाल,
अध्यक्ष,
नगरपालिका परिषद्,
मुनिकीरेती, ढालवाला।

कार्यालय नगर पंचायत हरबर्टपुर, देहरादून

11 जुलाई, 2016 ई0

पत्रांक 380/गजट/2016–

ठेकेदारी पंजीकरण एवं नियन्त्रण उपविधि–2016

1– परिभाषाएँ–

(1) यह उपविधि नगर पंचायत, हरबर्टपुर जनपद– देहरादून के **ठेकेदारी पंजीकरण एवं नियन्त्रण उपविधि–2016** कहलायेगी, जो शासकीय गजट में प्रकाशित होने की तिथि से लागू एवं प्रभावी होगी।

(2) **निकाय**– निकाय का तात्पर्य नगर पंचायत, हरबर्टपुर देहरादून से है।

(3) **बोर्ड**– बोर्ड का तात्पर्य नगर पंचायत, हरबर्टपुर देहरादून के निर्वाचित अध्यक्ष/सदस्यों अथवा से है।

(4) **अधिनियम**– अधिनियम का तात्पर्य **उत्तर प्रदेश, नगर पालिका अधिनियम–1916 (उत्तराखण्ड में यथाप्रवृत्त)** संशोधन एवं उपान्तण आदेश–2002 से है।

(5) **अध्यक्ष**– अध्यक्ष का तात्पर्य नगर पंचायत, हरबर्टपुर देहरादून के अध्यक्ष/प्रशासक से है।

(6) **अधिशासी अधिकारी**– अधिशासी अधिकारी का तात्पर्य अधिशासी अधिकारी नगर पंचायत, हरबर्टपुर देहरादून से है।

(7) **पंजीकरण**– पंजीकरण का तात्पर्य नगर पंचायत, हरबर्टपुर देहरादून द्वारा कराये जाने वाले निर्माण कार्यों के सम्पादन हेतु ठेकेदारों के पंजीकरण से हैं।

(8) **ठेकेदार**– ठेकेदार का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है, जो नगर पंचायत, हरबर्टपुर देहरादून में समस्त निर्माण कार्य, पुनर्निर्माण, सामग्री आपूर्ति एवं अन्य कार्य जो संविदा के अन्तर्गत आते हों, को करने का इच्छुक व्यक्ति हो।

(9) **श्रेणी**– श्रेणी का तात्पर्य ठेकेदार की प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय श्रेणी से हैं।

2–पंजीकरण की प्रक्रिया:–

नगर पंचायत के निर्माण कार्य (सड़क/नाली/नाला/पुस्ता/अन्य) एवं भवन के निर्माण कार्यों के सम्पादन तथा सामग्री आपूर्ति हेतु ठेकेदार की तीन श्रेणियाँ होंगी। इच्छुक व्यक्ति प्रथम, द्वितीय व तृतीय श्रेणी में निम्न शर्तों/औपचारिकताओं को पूर्ण कर अपना पंजीकरण करा सकता है:–

(1) वह भारत का नागरिक हो तथा नगर पंचायत सीमान्तर्गत या जनपद–देहरादून में कम से कम 05 वर्ष से निवास करता हो, अथवा उत्तराखण्ड राज्य का निवासी हो, का प्रमाण–पत्र, दो पासपोर्ट साईज फोटो सहित देनी होगी।

(2) जिलाधिकारी द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण–पत्र (जो छः महीने की अवधि के अन्दर का हो)।

(3) जिलाधिकारी द्वारा प्रदत्त हैसियत प्रमाण–पत्र (श्रेणीवार हैसियत सीमा निम्न प्रकार निर्धारित की जाती है)

अ– प्रथम श्रेणी के लिए	15,00 लाख
ब– द्वितीय श्रेणी के लिए	7.50 लाख
स– तृतीय श्रेणी के लिए	2.00 लाख

(4) **प्रथम श्रेणी में** पंजीकरण कराने हेतु लोक निर्माण विभाग, जल निगम, सिंचाई विभाग, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, नगर पंचायत/नगर पालिका परिषद, जल संस्थान एवं जिला पंचायत आदि विभागों में कम से कम सड़क/नाली/नाला आदि एवं भवन निर्माण का 02 वर्ष कार्य करने का अनुभव प्रमाण–पत्र एवं 02 वित्तीय वर्षो में 50.00 लाख के अनुबन्ध (बाण्ड) पत्र देने होंगे। इसके अतिरिक्त स्वयं का तकनीकी अभियन्ता एवं टी0एण्ड0पी0 (मिक्सचर मशीन/बाईबरेटर/जे0सी0बी0) आदि होने आवश्यक होंगे। अनुभव प्रमाण–पत्र अधिशासी अभियन्ता/अधिशासी अधिकारी/अपर मुख्य अधिकारी के हस्ताक्षर से जारी किया गया मान्य होगा।

(5) **द्वितीय श्रेणी में** पंजीकरण कराने हेतु उपरोक्त विभागों में कम से कम 02 वर्ष कार्य करने का अनुभव प्रमाण–पत्र एवं किसी एक वित्तीय वर्ष मे 7.50 लाख के 02 अनुबन्ध (बाण्ड) पत्र देने अनिवार्य होंगे (अनुभव प्रमाण–पत्र उपरोक्तानुसार जारी ही मान्य होगा)।

(6) **तृतीय श्रेणी में** पंजीकरण हेतु उत्तराखण्ड सरकार/भारत सरकार के किसी भी विभाग तथा प्रथम श्रेणी के ठेकेदार द्वारा जिसके साथ कम से कम एक वर्ष का कार्य किया हो, का अनुभव प्रमाण–पत्र देना होगा।

(7) प्रत्येक ठेकेदार का आयकर एवं व्यापार कर विभाग से पंजीकृत होना अनिवार्य है, तथा आयकर एवं व्यापार कर का पंजीकरण प्रमाण–पत्र प्रार्थना पत्र के साथ उपलब्ध कराना आवश्यक होगा।

3–जमानतः–

ठेकेदार को निम्न श्रेणी के अनुसार स्थायी जमानत राशि राष्ट्रीय बचत पत्र (NSC) अथवा किसान विकास पत्र के रूप में अधिशासी अधिकारी के पदनाम से बन्धक कर आवेदन पत्र के साथ देनी होगीं :–

अ–	प्रथम श्रेणी के लिए	20,000.00
ब–	द्वितीय श्रेणी के लिए	7,500.00
स–	तृतीय श्रेणी के लिए	2,000.00

4–पंजीकरण शुल्कः–

ठेकेदार को निम्न श्रेणी के अनुसार पंजीकरण शुल्क की धनराशि नगद रूप में नगर पंचायत, हरबर्टपुर के कोष में जमा करनी होगी :–

अ–	प्रथम श्रेणी के लिए	8,000.00
ब–	द्वितीय श्रेणी के लिए	6,500.00
स–	तृतीय श्रेणी के लिए	4,000.00

5– पंजीकरण की अवधिः–

प्रत्येक वर्ष में मात्र माह अप्रैल से 31 जौलाई तक ठेकेदारों के पंजीकरण किये जायेंगे एवं पंजीकरण की अवधि 02 वर्ष की होगी। पंजीकरण हेतु निर्धारित आवेदन पत्र का प्रारूप रू0 100.00 नगर पंचायत कोष में जमा कर क्रय करना होगा तथा पंजीकरण हेतु आवेदन पत्र निर्धारित प्रारूप में ही मान्य होगा, जो अवर अभियन्ता की संस्तुति पर अधिशासी अधिकारी/अध्यक्ष द्वारा स्वीकृत किया जायेगा।

6– नवीनीकरण की प्रक्रियाः–

पंजीकृत ठेकेदारों को 02 वर्ष पश्चात् निम्न श्रेणी के अनुसार अपना नवीनीकरण कराना होगाः–

(1) नवीनीकरण की अवधि 1 अप्रैल से 31 जौलाई तक होगी। इसके पश्चात् नवीनीकरण कराने पर प्रतिमाह रू0 1,000.00 विलम्ब शुल्क का भुगतान कर नवीनीकरण किया जायेगा।

(2) नवीनीकरण से पूर्व प्रत्येक ठेकेदार को एक निर्धारित प्रारूप पर जिसका मूल्य रू0 100.00 होगा, नगर पंचायत कार्यालय से क्रय कर विगत 02 वर्ष में किये गये कार्यों का विवरण देना होगा।

(3) नवीनीकरण प्रत्येक वर्ष कराना होगा एवं नवीनीकरण शुल्क निम्न श्रेणी के अनुसार पंचायत कोष में जमा कराने तथा विगत दो वर्षो में किये गये कार्यों के विवरण पर नगर पंचायत के अधिशासी अधिकारी/अध्यक्ष द्वारा स्वीकृति प्रदान की जायेगीः–

अ– प्रथम श्रेणी के लिए	3000.00
ब– द्वितीय श्रेणी के लिए	2000.00
स– तृतीय श्रेणी के लिए	1000.00

(4) अधिशासी अधिकारी/अध्यक्ष को यह अधिकार होगा कि वह किसी भी ठेकेदार के पंजीकरण के नवीनीकरण को उसके त्रुटिपूर्ण कार्य के लिए रोक सकता हैं।

(5) नवीनीकरण के आवेदन पत्र के साथ प्रत्येक वर्ष में चरित्र प्रमाण–पत्र (जो छः माह की अवधि के अन्दर का हो) तथा दो वर्ष बाद नवीनतम हैसियत प्रमाण–पत्र/ नवीनीकरण के समय यदि हैसियत यथावत् हो तो उसके लिये शपथ–पत्र देना होगा।

7– निर्माण के सम्पादन की सीमाः–

प्रत्येक श्रेणी के ठेकेदारों को निम्नानुसार कार्य के टेण्डर लेने का अधिकार होगाः–

(1) **प्रथम श्रेणी** में पंजीकृत ठेकेदार सभी प्रकार (असीमित धनराशि के) निर्माण कार्यों के टेण्डर लेने के अधिकारी होंगे।

(2) **द्वितीय श्रेणी** में पंजीकृत ठेकेदार रू0 10.00 लाख तक के निर्माण कार्यों के टेण्डर लेने के अधिकारी होंगे।

(3) **तृतीय श्रेणी** में पंजीकृत ठेकेदार रू0 5.00 लाख तक के निर्माण कार्यों के टेण्डर लेने के अधिकारी होंगे।

8– निविदा प्रपत्र की लागतः–

निविदा प्रपत्र का मूल्य आगणन राशि का 0.10 प्रतिशत होगा व नियमानुसार वैट राशि अतिरिक्त देय होगी। न्यूनतम् निविदा प्रपत्र का मूल्य रू0 100.00 होगा व वैट राशि नियमानुसार अतिरिक्त देय होगी।

प्रत्येक ठेकेदार विभागीय कार्यों का ठेका लेने के लिए नगर पंचायत से निविदा प्रपत्र नकद मूल्य देकर खरीदेगा निविदा प्रपत्र का मूल्य जमा होने के पश्चात् किसी स्थिति में न तो वापिस होगा और न ही आगामी निविदाओं में समायोजित होगा। निविदा प्रपत्र पंचायत के पंजीकृत ठेकेदारों को ही बेचा जायेगा।

9– निविदा स्वीकार करने का अधिकारः–

ठेकेदार द्वारा डाली गई निविदाओं में न्यूनतम निविदाओं को स्वीकृत करने का अधिकार अधिशासी अधिकारी/अध्यक्ष का होगा, किन्तु यदि न्यूनतम निविदा आंकलन से ठेकेदार के 10 प्रतिशत लाभ घटाने के बाद भी कम है, तो इस पर तकनीकी राय लेकर निर्णय लिया जायेगा। निविदा डालने के 6 माह तक उन्हीं दरों पर कार्य करने के लिए बाध्य होगा। यदि ठेकेदार को निविदा डालने की तिथि से 6 माह बाद कार्यादेश दिया जाता है तो ठेकेदार उन दरों पर कार्य करने के लिए बाध्य नहीं होगा।

10–धरोहर राशिः–

उत्तराखण्ड अधिप्राप्ती (प्रक्यूरमेंट) नियम 2008 में किये गये प्राविधान के अनुसार स्थायी जमानत/धरोहर धनराशि निविदा के साथ राष्ट्रीय बचत पत्र किसान विकास पत्र एवं एफ0डी0आर0 के रूप में अधिशासी अधिकारी के पदनाम बन्धक देनी होगी।

11– ठेकेदार का भुगतानः–

कार्य समाप्ति के पश्चात् ठेकेदार का कार्य सन्तोषजनक होने पर नियमानुसार बिल की धनराशि से समय–समय पर निर्धारित दरों के अनुसार आयकर, व्यापार कर एवं जमानत की राशि काटने के उपरान्त भुगतान किया जायेगा। जमानत राशि का भुगतान 01 वर्ष बाद कार्य सन्तोषजनक होने पर अवर अभियन्ता की संस्तुति पर किया जायेगा।

12–कार्य पूर्ण करने की अवधिः–

प्रत्येक पंजीकृत ठेकेदार का यह दायित्व होगा कि वह निविदा फार्म में दी गयी कार्य अवधि के अन्तर्गत कार्य पूर्ण करे। यदि समय पर कार्य पूर्ण नहीं किया जाता है तथा उसकी कार्य अवधि बढ़ाने हेतु ठेकेदार द्वारा समय समाप्ति से पूर्व औचित्य स्पष्ट करते हुए प्रार्थना–पत्र दिया जाता है तो अवर अभियन्ता/अधिशासी अधिकारी की संस्तुति पर अध्यक्ष द्वारा कार्य अवधि बढ़ाने की स्वीकृति एक बार प्रदान की जा सकती है। यदि ऐसा नहीं किया गया तो ठेकेदार के विरूद्ध कार्यवाही की जा सकती है। ऐसी अवधि के लिए अवशेष कार्य पर 5 प्रतिशत की दर से अन्तिम बिल की धनराशि से अर्थदण्ड के रूप कटौती कर ली जायेगी, यदि इस धनराशि की प्रतिपूर्ति बिल की धनराशि से नहीं हो पाने की स्थिति में दण्ड की अवशेष धनराशि की वसूली भू–राजस्व के बकाया की भाँति सम्बन्धित ठेकेदार से की जायेगी।

13– पंजीकरण का निरस्तीकरणः–

यदि ठेकेदार निर्धारित तिथि तक कार्य प्रारम्भ नहीं करता है अथवा कार्य संन्तोषजनक गुणवत्ता के अनुसार स्वीकृत स्टीमेंट व साईट प्लान के अनुरूप नहीं करता है तो ऐसी स्थिति में अवर अभियन्ता एवं अधिशासी अधिकारी की जांच आख्या/संस्तुति पर अध्यक्ष द्वारा ठेकेदार के पंजीकरण को निरस्त कर ऐसे ठेकेदार को काली सूची मे डाल सकता है। पंजीकरण निरस्तीकरण के फलस्वरूप ठेकेदार का ठेका स्वतः ही निरस्त हो जायेगा और ठेकेदार द्वारा किये गये कार्यों का भुगतान नगर पंचायत को हुई हानि के समायोजन के पश्चात् किया जायेगा।

14– जमानत जब्त करने का अधिकारः–

यदि ठेकेदार नगर पंचायत उपनियमों या ठेके की शर्तों, अनुबन्ध–पत्र का उल्लंघन कर नगर पंचायत को कोई हानि पहुँचाता है या उपविधि के नियम 13 के विपरीत कार्य करता है तो ऐसी दशा मे अवर अभियन्ता एवं अधिशासी अधिकारी की जाँच आख्या/संस्तुति पर अध्यक्ष को ठेकेदार की जमानत जब्त करने का अधिकार होगा। यदि इसके बाद भी पंचायत की क्षतिपूर्ति न हो सके तो शेष राशि ठेकेदार की सम्पत्ति से भू–राजस्व के बकाये की भांति वसूल की जायेगी।

एस0 पी0 जोशी,
अधिशासी अधिकारी,
नगर पंचायत, हरबर्टपुर।

वीना शर्मा,
अध्यक्ष,
नगर पंचायत, हरबर्टपुर।

11 जुलाई, 2016 ई0

पत्रांक 381/गजट/2016–

नगरीय ठोस अपशिष्ट (प्रबन्धन एवं हथालन) उपविधि, 2016

संक्षिप्त प्रसार एवं प्रारम्भः–

1. यह उपविधि नगर पंचायत, हरबर्टपुर देहरादून की **"नगरीय ठोस अपशिष्ट (प्रबन्धन एवं हथालन) उपविधि, 2016"** कहलायेगी।
2. यह उपविधि नगर पंचायत, हरबर्टपुर के सम्पूर्ण क्षेत्र में प्रभावी होगी।
3. यह उपविधि सरकारी गजट उत्तराखण्ड में प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होंगी।

परिभाषायें:–

(i) **"नगरीय ठोस अपशिष्ट"** के अन्तर्गत औद्योगिक परिसंकटमय अपशिष्टों को छोड़कर किन्तु उपचारित जैव चिकित्सीय अपशिष्टों को सम्मिलित करते हुये ठोस या अर्द्ध ठोस के रूप से नगरीय/अधिसूचित क्षेत्रों में पैदा किया जाने वाला वाणिज्यक तथा आवासीय अपशिष्ट आता है;

(ii) **"उपविधि"** से अभिप्रेत उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1916 के उपबन्धों के अधीन गठित उपविधि से है;

(iii) **"नगर पंचायत"** से अभिप्रेत संविधान के अनुच्छेद 243 (थ) के खण्ड 7 के उपखण्ड (ग) के अधीन किसी नगर के संगठित नगर पंचायत से है;

(iv) **"अधिशासी अधिकारी"** से अभिप्रेत उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1916 के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश पालिका केन्द्रीयित सेवा नियमावली, 1966 के अधीन नियुक्त अधिशासी अधिकारी से है;

(v) **"सफाई निरीक्षक"** से अभिप्रेत नगर पंचायत, हरबर्टपुर में शासन द्वारा तैनात सफाई निरीक्षक से है, ऐसे अधिकारी के उपलब्ध न होने की स्थिति में नगर पंचायत के उस अधिकारी/कर्मचारी से है, जो उस पद के कार्यभार के लिए शासन, नगर पंचायत बोर्ड या अधिशासी अधिकारी द्वारा अधिकृत किया गया हो;

(vi) **"निरीक्षण अधिकारी"** का अभिप्रेत अधिशासी अधिकारी, नगर स्वास्थ्य अधिकारी, सफाई निरीक्षक अथवा ऐसे अधिकारी/कर्मचारी से है जिन्हें समय–समय पर अधिशासी अधिकारी के आदेश से निरीक्षण के लिये अधिकृत किया गया है;

(vii) **"नियम"** से अभिप्रेत भारत सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना सं०, 648 नई दिल्ली, मंगलवार 03 अक्टूबर 2000 असाधारण अधिसूचना नई दिल्ली, दिनांक 25 सितम्बर 2000 द्वारा पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अन्तर्गत नगरीय ठोस अपशिष्ट (प्रबन्धन और हथालन) नियम, 2000 बनाये गये से है;

(viii) **"अधिनियम"** से अभिप्रेत उत्तर प्रदेश/उत्तराखण्ड, नगर पालिका, अधिनियम 1916 से है;

(ix) **"जीव नाशित/जैव निम्नकारणीय/जैविक अपशिष्ट"** (biodegrabable waste) से अभिप्रेत ऐसे अपशिष्ट पदार्थों से है सूक्ष्म जीवों द्वारा निम्नकरण किया जा सकता है, जैसे बचा हुआ ,खाना, सब्जी एवं फलो के छिलके, फूलों–पौधों आदि के पत्ते एवं अन्य जैविक अपशिष्ट आदि;

(x) **"जीव अनाशित अपशिष्ट"** (Non-biodegrabable waste) का अभिप्रेत ऐसे कूड़ा–कचरा सामग्री से है, जो जीव नाशित कूड़ा कचरा नहीं है और इसके अन्तर्गत प्लास्टिक भी है;

(xi) **"पुनर्चक्रणीय अपशिष्ट"** (recyclable waste) से अभिप्रेत ऐसे अपशिष्ट से है जो दोबारा किसी भी प्रकार सीधे अथवा विधि से परिवर्तित करके उसका दोबारा उपयोग किया जा सकता है, जैसे–प्लास्टिक, पॉलिथीन (निर्धारित माईक्रोन के अन्दर) कागज, धातु, रबड़ आदि;

(xii) **"जैव चिकित्सीय अपशिष्ट"** (biomedical waste) से तात्पर्य ऐसे अपशिष्ट से है जिसका जनन मानवों व पशुओं के रोग निदान, उपचार, प्रतिरक्षीकरण के दौरान या उससे सम्बन्धित किसी अनुसन्धान, क्रियाकलापों या जैविक के उत्पादन या परीक्षण के दौरान हुआ हो;

(xiii) **"संग्रहण"** (collection) से अपशिष्ट के उत्पत्ति स्थल, संग्रहण, बिन्दुओं तथा किसी अन्य स्थान से ठोस अपशिष्ट को उठाया जाना अभिप्रेत है;

(xiv) **"कचरा खाद बनाने"** (composting) एक ऐसी नियन्त्रित प्रक्रिया से अभिप्रेत है जिसमे कार्बनिक पदार्थ का सूक्ष्म जैवीय निम्नकरण अन्तर्वलित है;

(xv) **"ढहान तथा निर्माण सम्बन्धी अपशिष्ट"** (demolition and construction waste) से अभिप्रेत सन्निर्माण, पुनर्निर्माण, मरम्मत और ढहाने सम्बन्धी संक्रिया के परिणाम स्वरूप निर्माण सामग्री रोड़ियों और मलबे से उद्भूत अपशिष्ट से है;

(xvi) **"व्ययन"** (disposal) से भूजल, सतही जल तथा परिवेशी वायु गुणता को सन्दूषण से बचाने हेतु आवश्यक सावधानी से नगरीय ठोस अपशिष्ट का अन्तिम रूप से व्ययन अभिप्रेत है;

(xvii) **"भूमिकरण"** (landfilling) से भूजल सतह जल का प्रदूषण और वायु के साथ उड़ने वाली धूल, हवा के साथ उड़ने वाला कूड़ा, बदबू आग के खतरे, पक्षियों का खतरा, नाशी जीव/कृन्तक, ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन, ढाल अस्थिरता और कटाव के लिए संरक्षात्मक उपक्रमों के साथ डिजाईन की गई सुविधा में अपशिष्ट, ठोस अपशिष्ट का भूमि भरण पर निपटान अभिप्रेत है;

(xviii) **"निक्षालितक"** (leachate) से वह द्रव्य अभिप्रेत है जिसका ठोस अपशिष्ट या अन्य माध्यम से रिसाव हुआ है तथा जिसने इसमें से धुलित अथवा निलम्बित पदार्थ का निष्कर्ष किया है;

(xix) **"नगर पंचायत प्राधिकारी"** (municipal authority) में म्युनिशिपल कॉर्पोरेशन, म्युनिसिपैलिटी, नगर पंचायत, जिसके अन्तर्गत अधिसूचित क्षेत्र, समिति (एन०ए०सी०) अथवा सुसंगत कानूनों के अन्तर्गत गठित कोई अन्य स्थानीय निकाय अभिप्रेत है, जहां नगरीय ठोय अपशिष्ट का प्रबन्धन और हथालन ऐसे किसी अभिकरण को सौंपा जाता है;

(xx) **"स्थानीय प्राधिकारी"** (local authority) का अभिप्रेत तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन गठित नगर निगम, नगर पालिका परिषद्, नगर पंचायत, क्षेत्र पंचायत या ग्राम पंचायत है;

(xxi) **"नगरीय ठोस अपशिष्ट"** (municipal solid waste) के अन्तर्गत औद्योगिक परिसंकटमय (hazardous) अपशिष्टों को छोड़कर किन्तु उपचारित जैव चिकित्सीय अपशिष्टों को सम्मिलित करते हुये ठोस या अर्धठोस रूप से नगरीय/अधिसूचित क्षेत्रों में पैदा किया जाने वाला वाणिज्यक तथा आवासीय अपशिष्ट आता है;

(xxii) "सुविधा के परिचालक" (operator of facility) से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो नगरीय ठोस अपशिष्टो के संग्रहण, पृथक्करण, भण्डारण, परिवहन, प्रसंस्करण और निपटान की सुविधा का स्वामी या परिचालक है और इसके अन्तर्गत ऐसा कोई अभिकरण आता है जो अपने–अपने क्षेत्रों में नगरीय ठोस अपशिष्टों के प्रबन्धन एवं हथालन के लिये नगर पंचायत प्राधिकारी द्वारा इस रूप से नियुक्त किया गया है। "प्रसंस्करण" से वह प्रक्रिया अभिप्रेत है, जिसके द्वारा अपशिष्ट सामग्रियों को नये पुनः चक्रित उत्पादों में परिवर्तन किया जाता है;

(xxiii) "पुनर्चक्रण" (recycling) से वह प्रक्रिया अभिप्रेत है जो नये उत्पादों के उत्पादन के लिए पृथक्करण सामग्रियों को उत्पादन सामग्री में परिवर्तन करता है। जो अपने मूल उत्पादन के समान हो सकता है या नहीं भी हो सकता है;

(xxiv) "पृथक्करण" (segregation) से नगरीय ठोस अपशिष्टों को कार्बनिक, अकार्बनिक, पुनः चक्रण योग्य और परिसंकटमय अपशिष्टों को वर्गों से अलग–अलग करना अभिप्रेत है;

(xxv) "भण्डारण" (storage) से नगरीय ठोस अपशिष्टों के अस्थाई रूप से इस प्रकार डिब्बाबन्द किया जाना अभिप्रेत है जिससे कूड़ा–करकट, रोग वाहकों के आकर्षित करने, आवारा पशुओं तथा अत्याधिक दुर्गन्ध को रोका जा सके;

(xxvi) "परिवहन" (transportation) से विशेष रूप से डिजाईन की गई परिवहन प्रणाली द्वारा स्वच्छता से एक स्थान से दूसरे स्थान तक नगरीय ठोस अपशिष्ट का परिवहन करना अभिप्रेत है ताकि दुर्गन्ध, कूड़ा–करकट बिखरने, रोग वाहकों की पहुँच से रोका जा सके।

3. कोई भी व्यक्ति/स्थापन (establishment) नगरीय ठोस अपशिष्टों को नाली, सड़क, गली, फुटपाथ, किसी भी खुले स्थान पर जो नगर पंचायत द्वारा इस प्रयोजन के लिए निर्धारित नहीं किया गया है, न डालेगा और न डलवायेगा।

4. नगरीय ठोस अपशिष्टों के उत्पादक व्यक्ति/स्थापन अपशिष्ट उत्पादन स्थल पर दो कूड़ेदान रखेगा, जिसमें से एक जैव निम्नकरणीय अपशिष्ट तथा दूसरें में पुनः चक्रणीय अपशिष्ट संग्रहित करेगा

5. नगरीय ठोस अपशिष्टों के उत्पादक व्यक्ति/स्थापन द्वारा उक्त बिन्दु 6 के अनुसार संग्रहित जैव निम्नकरणीय अपशिष्ट प्रतिदिन तथा पुनः चक्रणीय अपशिष्ट सप्ताह में एक दिन नगर पंचायत, के द्वारा निर्धारित समय, प्रक्रिया के अनुसार नगर पंचायत के कर्मचारी/सुविधा प्रचालक (operator of a facility) को देना होगा (किन्तु जीव नाशित कूड़ा, जीव अनाशित थैले में रखकर नहीं डाला जायेगा) जिसके लिए अनुसूची में निर्धारित दरें जो समय–समय पर संशोधित करी जा सकेगी के अनुसार उत्पादक व्यक्ति/स्थापन से प्रतिमाह सेवा शुल्क (user charges) लिये जायेंगे।

6. नगरीय ठोस अपशिष्टों के उत्पादक व्यक्ति/स्थापन ढहान तथा निर्माण सम्बन्धी अपशिष्टों को उठाने के लिए नगर पंचायत से सम्पर्क कर पंचायत द्वारा निर्धारित व्यवस्था के अनुसार ऐसे अपशिष्टों को उठाने के लिये निर्धारित दर पर सेवा शुल्क (user charges) भुगतान करना होगा।

7. नगरीय ठोस अपशिष्टों के उत्पादक व्यक्ति/स्थापन द्वारा जहाँ तक सम्भव हो बागवानी व सभी पेड़–पौधों के कूड़े परिसर में ही कम्पोस्ट करना होगा, जहाँ ऐसा करना सम्भव ना हो तो नगर पंचायत, से सम्पर्क कर पंचायत द्वारा निर्धारित व्यवस्था के अनुसार ऐसे अपशिष्टों को उठाने के लिए निर्धारित दर पर सेवा शुल्क (user charges) भुगतान करना होगा। किसी भी दशा में ऐसे अपशिष्टों को जलाया नहीं जायेगा।

8. नगरीय ठोस अपशिष्टों के उत्पादक व्यक्ति/स्थापन द्वारा परिसंकटमय (hazar dous) अपशिष्टों को अलग से जमा रखना होगा और पन्द्रह दिन में एक बार द्वार–द्वार संग्रहण हेतु कर्मचारी/सुविधा प्रचालक को देना होगा।

9. नगरीय ठोस अपशिष्टों के उत्पादक व्यक्ति/स्थापन जीव चिकित्सा अपशिष्टों का प्रबन्धन जीव–चिकित्सा अपशिष्ट (प्रबन्धन एवं हथालन) नियम 1998 के अनुसार करेगा, बिना उपचारित जैव–चिकित्सा अपशिष्टों को नगरीय ठोस अपशिष्टों में नहीं मिलायेगा।

10. नगरीय ठोस अपशिष्टों के उत्पादन करने वाला/हथालन करने वाला व्यक्ति/स्थापन तथा अन्य कोई भी व्यक्ति नगरीय ठोस अपशिष्ट को न जलायेगा और न ही जलवायेगा।

11. नगरीय ठोस अपशिष्टों के उत्पादन, पृथक्करण, संग्रहण, भण्डारण, परिवहन तथा व्ययन से सम्बन्धित स्थल का निरीक्षण का अधिकार निरीक्षण अधिकारी को होगा।

12. निरीक्षण अधिकारी द्वारा स्थल पर गये नगरीय ठोस अपशिष्ट को यदि तत्काल उठाने की आवश्यकता समझी जाती है तो मासिक यूजर चार्जेज के अन्तर्गत निर्धारित नहीं है को अपशिष्ट उत्पादक के द्वारा अथवा नगर पंचायत/सुविधा प्रचालक तत्काल उठवाया जा सकेगा और उसके लिए स्थल पर ही यूजर चार्जेज वसूल किया जा सकेगा। जिसकी रसीद अपशिष्ट उत्पादक को दी जायेगी वह धनराशि उसी दिन अथवा अगले कार्य दिवस में नगर पंचायत/सुविधा प्रचालक के खाते में जमा की जायेगी।

13. अनुसूची में दी गयी दरों में प्रतिवर्ष 10 प्रतिशत की वृद्धि की जायेगी, जिसकी गणना रू० 5.00 (पाँच) के पूर्णांक में की जायेगी।

14. यह कि उपविधि मे दिये गये किसी नियम का उल्लंघन करने पर यदि कोई व्यक्ति या परिवार जैविक–अजैविक कूडे को सडक व नाली मे फैकता है तो प्रथम बार रू0 200.00, द्वितीय समय रू0 500.00 एवं तृतीय स्थिति मे रू0 1,000.00 पेनल्टी देनी होगी।

15. यह कि यदि कोई व्यक्ति आवासीय एवं व्यवसायी भवन निर्माण हेतु निर्माण सामग्री 24 घण्टे के अन्दर सार्वजनिक सडक या नाली के ऊपर से नही हटाता है तो प्रथम बार रू0 500.00, द्वितीय समय रू0 1000.00 एवं तृतीय स्थिति मे रू0 1,500.00 की पेनल्टी देनी होगी।

16. यह कि नगरीय ठोस उपशिष्ट (प्रबन्धन एवं हथालन)उपविधि–2016 में निर्धारित निम्नलिखित यूजर चार्जेज/सेवा शुल्क में छूट का प्राविधान नहीं होगा;–

अनुसूची–1 सेवा शुल्क (User charges)

क्र० सं०	अपशिष्ट उत्पादक की श्रेणी/अपशिष्ट के प्रकार	प्रतिमाह सेवा शुल्क (user charges) की प्रस्तावित राशि रू० में			
		जैविक–अजैविक कूडा अलग–अलग पहुँचाने पर	मिश्रित कूडा सड़क तक पहुँचाने पर	जैविक–अजैविक कूड़ा घर/श्रोत पर ही अलग–अलग देने पर	जो व्यक्ति घर/श्रोत पर ही मिश्रित कूड़ा दे
1.	गरीबी रेखा से नीचे के घर	5.00	10.00	15.00	20.00
2.	मध्यम वर्ग कम आय वाले घर	10.00	15.00	20.00	25.00
3.	उच्च आय वर्ग वाले घर	15.00	20.00	25.00	30.00
4.	सब्जी एवं फल विक्रेता	100.00	200.00	100.00	125.00
5.	रेस्टोरेन्ट	250.00	500.00	200.00	250.00
6.	होटल/लांजिग/गेस्ट हाउस	200.00	300.00	300.00	350.00
8.	धर्मशाला	20.00	30.00	40.00	50.00
9.	बारातघर	1000.00	1500.00	1000.00	1500.00
10.	बैकरी	150.00	200.00	150.00	200.00
11.	कार्यालय	50.00	100.00	50.00	75.00
12.	स्कूल/शिक्षण संस्थाएं (अवासीय)	100.00	200.00	200.00	200.00
13.	स्कूल/शिक्षण संस्थाएं (अनावासीय)	20.00	25.00	25.00	25.00
14.	हॉस्पिटल/नर्सिंग होम (बायोमेडिकल वेस्ट को छोड़कर)	200.00	400.00	200.00	250.00
15.	क्लीनिक (मेडिकल)	100.00	200.00	150.00	200.00
16.	दुकान	100.00	200.00	150.00	175.00
17.	फैक्ट्री	200.00	400.00	300.00	250.00
18.	वर्कशाप/कबाड़ी	1000.00	1500.00	500.00	700.00
19.	गन्ने का रस/जूस विक्रेता	50.00	100.00	125.00	150.00
20.	सार्वजनिक/निजी स्थलों पर सर्कस/प्रदर्शनी/विवाह आदि प्रति आयोजन जिसमें अपशिष्ट उत्पन्न हो	200.00	500.00	500.00	400.00
21.	ढहान तथा निर्माण सम्बन्धी अपशिष्ट	200.00	400.00	400.00	300.00

जैविक (Biodegrable) अपशिष्ट	पुनर्चक्रणीय (Recyclable) अपशिष्ट	घरेलू परिसंकटमय (hazardous) अपशिष्ट
हर प्रकार का पका बिना पका हुआ अपशिष्ट	कागज तथा हर प्रकार का प्लास्टिक	एरोसोल कैन
सब्जी एवं फलों के छिलके फूल एवं घरेलू पौधों का कूड़ा	कार्ड बोर्ड तथा कार्टन	बटन सैल, फ्लैसाईट/कार बैटरी
घरेलू झाड़े से निकली गन्दगी	हर प्रकार की पैकिंग	ब्लोचें, घरेलू रसोई तथा नाला सफाई का सामान
सेनिटरी टावल	हर प्रकार के डिब्बे परिसंकट मय को छोड़कर	आयल फिल्टर तथा कार सुरक्षा के उत्पाद
बच्चों के डायपर	हर प्रकार के कांच/धातु/रबड़ लकड़ी	रसायन तथा उसके खाली डिब्बे सौन्दर्य तथा उनके खाली डिब्बे
	फाईल, पुड़िया, ट्रेटोपैक कैसेट कम्प्यूटर, डिस्केट, इलैक्ट्रानिक पुर्जे, खराब कपड़े, फर्नीचर आदि	इन्जेक्शन सुई तथा सिरिज खराब दवाईयाँ कीटनाशक तथा उनके डिब्बे
		लाईट बल्ब ट्यूब लाईट तथा छोटे फ्लासेन्ट बल्ब थर्मामीटर एवं अन्य पारे वाले उत्पाद
		पेन्ट, तेल, गौंद, थ्रीनर तथा उनके डिब्बे फोटोग्राफी के रसायन

शास्ति

उपरोक्त उपविधि का उल्लघंन उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1916 की धारा 299 (1) एवं नगरीय ठोस अपशिष्ट (प्रबन्धन एवं हथालन) नियमावली, 2000 के अन्तर्गत दण्डनीय होगा, जिसके लिए कम से कम रू० 500.00 एवं अधिक से अधिक रू0 5000.00 का अर्थदण्ड होगा और जब ऐसा उल्लंघन निरन्तरण किया जाय, तो अग्रेत्तर जुर्माना किया जायेगा, जो प्रथम दोष सिद्धि के दिनांक के पश्चात् ऐसे प्रत्येक दिन के लिए जिसमें अपराधी का अपराध करते रहना सिद्ध हो, रू० 500.00 प्रतिदिन होगा। यह अधिकार अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत हरबर्टपुर में अन्तिम रूप में निहित होगा।

एस0 पी0 जोशी,
अधिशासी अधिकारी,
नगर पंचायत, हरबर्टपुर।

वीना शर्मा,
अध्यक्ष,
नगर पंचायत, हरबर्टपुर।

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 29 हिन्दी गजट/338–भाग 8–2016 (कम्प्यूटर/रीजियो)।
मुद्रक एवम् प्रकाशक–अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रुड़की।